कार्यालय, जिला विद्यालय निरीक्षक, फैज़ाबाद

पत्रांक- बेसिक/प्रबंध/ /2017-18 दिनांक-29/11/17

समस्त प्रधानाचार्य
सरकारी/गैर सरकारी स्कूल
जनपद- फैज़ाबाद

महोदय,

"सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम- 2003" के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु **"कोटपा अधिनियम-2003"** की धारा 6ब के नियमानुसार समस्त शिक्षण संस्थानों के प्रवेश द्वार पर **"तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान, इस शिक्षण संस्थान के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद बेंचना कानूनी अपराध है, कानून का उल्लंघन करने वालो पर रु0 200/- तक का जुर्माना हो सकता है** अतः उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है अपने-अपने स्कूलों पर 60×45 सेंटीमीटर का चेतावनी बोर्ड जल्द से जल्द पक्के पेंट से लिखवायें और साथ ही साथ अपने-अपने स्कूलों में कोटपा अधिनियम-2003 का सख्ती से पालन करायें एवं कोटपा कानून का उलंघन करने वालो के खिलाफ कड़ाई से कार्यवाही सुनिश्चित कराये। चेतावनी बोर्ड का नमूना इस प्रकार है-

तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान
इस शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री एक दण्डनीय अपराध है, जिसका उल्लंघन करने वाले पर 200/- रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
आदेशानुसार शिक्षण संस्थान के अधिकारी का नाम : ____________ शिक्षण संस्थान का नाम : ____________

12040
29.11.17

साथ ही साथ अपने स्कूल/कालेज को तम्बाकू मुक्त घोषित कराते हुए एक सादे कागज A4 पर तम्बाकू मुक्त प्रमाण पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। तम्बाकू मुक्त प्रमाण पत्र नमूना पत्र अगोलिखित है-

जिला विद्यालय निरीक्षक,
फैजाबाद

पृ० सं०/ विविध/ 6686-90 /17-18 दि० उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मंडलायुक्त, फैज़ाबाद मण्डल, फैज़ाबाद।
2. जिला अधिकारी महोदय, फैज़ाबाद।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैज़ाबाद।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फैज़ाबाद।